न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०एक्ट) रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं.854/2025
चन्द्रकान्ती.....बनाम.....राम जी त्रिपाठी आदि।
अं०धारा-173(4) BNSS
थाना चौबेपुर, कानपुर नगर।

दिनांक 12-03-2026

1- प्रार्थिनी श्रीमती चन्द्रकान्ती की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा-173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण राम जी त्रिपाठी व प्रकाश पाण्डेय के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थिनी द्वारा अपने आवेदनपत्र में अभिकथित किया गया है कि प्रार्थिनी/वादिनी ग्राम भट्ठा कोठी पोस्ट व थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर की मूल निवासिनी है। प्रार्थिनी के पति स्व० ओमकार सिंह ने दिनांक 20.06.2023 को एक ई-रिक्शा वाहन सं०-UP 78 JN 6350 माडल मयूरी जिसको Shri Ji Piaggio Auto Motors बैलाही बाजार, चौबेपुर, जी०टी० रोड़ थाना चौबेपुर कानपुर नगर प्रोपराईटर राम जी त्रिपाठी से क्रय किया था और प्रोपराईटर रामजी त्रिपाठी द्वारा अपनी जान पहचान की फाइनेन्स कम्पनी मेसर्स मुफिन ग्रीन फाईनेंस लिमिटेड कम्पनी से फाईनेन्स करा दिया। प्रार्थिनी के पति ने उपरोक्त ई० रिक्शा क्रय करते समय एजेन्सी मालिक रामजी त्रिपाठी को 39,500/-रू० जमा करते हुए 1,12,750/-रू० ऋण मय व्याज प्रतिमाह 7908/- रू0 18 माह में अदा करने की किश्ते बनवाई। जिसमें से प्रार्थिनी के पति को प्रथम किश्त दिनांक 20.10.2023, दिनांक 06.11.2023 दिनांक 06.12.2023. दिनांक 05.01.2024 समयानुसार अदा कर रहा था अचानक प्रार्थिनी के पति ई० रिक्शा दिनांक 03.02.2024 को खराब हो गया। प्रार्थिनी के पति ने उपरोक्त एजेन्सी में दिखाने के लिए गये। एजेन्सी मालिक राम जी त्रिपाठी द्वारा बैटरी की खराबी की बात बतायी और अपने कर्मचारी बीजेन्द्र द्वारा ई-रिक्शा श्यामा इन्टरप्राइजेज, कबाड़ी मार्केट, फजलगंज कानपुर नगर को भिजवा दिया और प्रार्थिनी के पति को एक सप्ताह का समय दिया। एक सप्ताह बाद जब प्रार्थिनी का पति ई-रिक्शा लेने हेतु एजेन्सी गया, तो प्रोपराइटर रामजी त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि तुम्हारा ई-रिक्शा सही नही हो सका है और अतिरिक्त 1 माह का समय मांगते हुए स्वयं सूचना देने की बात कही। आश्वासन देकर वापस कर दिया। तब प्रार्थिनी का पति श्यामा इन्टरप्राईजेज, कबाड़ी मार्केट, फजलगंज कानपुर नगर अपने वाहन के बावत जानकारी हेतु गया. तब एजेन्सी के प्रोपराइटर प्रकाश पाण्डेय ने आश्वासन देते हुए कहा कि मेरे पास बहुत सारे ई-रिक्शा खड़े हैं सब में काम हो रहा है, परेशान न हो। उक्त जिस फर्म से तुमने ई-रिक्शा खरीदा है वो मेरी ही कम्पनी की सब डीलर दूसरी ई-रिक्शा कम्पनी है प्रार्थिनी के पति ने ई-रिक्शा पर चल रही ई०एम०आई० की बात कही तो प्रकाश पाण्डेय द्वारा ई०एम०आई० नही पड़ने की बात कही है। हम फाईनेंस कम्पनी वालो से बात कर लेगे कोई नोटिस नही आयेगा। राम जी त्रिपाठी मेरे रिश्तेदार हैं इन सभी बातों पर विश्वास करके प्रार्थिनी का पति वापिस अपने घर आ गया। प्रार्थिनी का पति उपरोक्त दोनो के प्रोपराइटर रामजी त्रिपाठी

व प्रकाश पाण्डेय व फाईनेंसर के षड्यन्त्र को समझ नही सका। प्रार्थिनी के पति को बेवकूफ बनाकर परेशान करते रहे। जिसे वह बर्दाश्त करता रहा। चूंकि प्रार्थिनी का पति अनपढ एवं निम्न वर्ग का व्यक्ति है एवं उक्त रिक्शा लोन में खरीद कर अपना व अपने परिवार का अच्छा जीवन यापन करना चाहता था। परन्तु रामजी त्रिपाठी एवं प्रकाश पाण्डेय द्वारा प्रार्थिनी के पति का ई-रिक्शा झूठ एवं षड्यन्त्र रचकर अपने पास निरूद्ध करके अवैध रूप से दुरूपयोग किये जा रहा था। अचानक जब प्रार्थिनी के पति को दिनांक 05.10.2024 को अपने मोबाइल में आये चालान के मैसेज का पता चला एक चालान चेक किया तो प्रार्थिनी के पति को उपरोक्त ई-रिक्शा का चालान 10.04.2024, 24.04.2024, 14.05.2024, 03.06.2024, 04.06.2024 के चालान देखकर प्रार्थिनी के पति हैरान व परेशान होकर जब उक्त चालान की कॉपी एवं फाइनेंस कम्पनी मेसर्स मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड कम्पनी से आम बकाया 55,356/- रू0 के बकाया जुर्माने की नोटिस लेकर Shri Ji Piaggio Auto Motors बैलाही बाजार, चौबेपुर, जी०टी० रोड़ थाना चौबेपुर कानपुर नगर प्रोपराईटर रामजी त्रिपाठी के पास पहुंचा तब राम जी त्रिपाठी को बताया कि जब मेरा ई-रिक्शा श्यामा इन्टरप्राइजेज, कबाड़ी मार्केट, फजलगंज कानपुर नगर प्रकाश पाण्डेय की कम्पनी में खराब पड़ा है तो यह सब चालान कैसे हो रहे हैं और प्रकाश पाण्डेय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब तक रिक्शा ठीक नही हो जायेगा तब तक की किश्ते आपको अदा नही करनी है। आप उक्त सभी लोगो द्वारा मेरे वाहन का गलत उपयोग किया गया और मुझसे झूठ बोलकर मुझे भ्रम में रखा गया है। जिस पर प्रार्थिनी के पति ने दिनांक 11.10.2024 को थानाध्यक्ष चौबेपुर को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उपरोक्त सभी लोग प्रकाश पाण्डेय व रामजी त्रिपाठी एवं फाइनेन्स कम्पनी वाले एवं 5 अज्ञात लोगो के साथ दिनांक 16.10.2024 रात 08:00 बजे प्रार्थिनी की चाय की दुकान में घुसकर गाली गलौज एवं मारपीट किया एवं जाति सूचक शब्द चमार कहकर बहुत मारापीटा। उसी वक्त आस-पास के लोगो ने बीच बचाव किया और झूठे मुकदमें में फंसा देने व जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थिनी के पति ने कई जगह न्याय प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। लोन की व पुत्री के विवाह की चिन्ता के कारण दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थिनी के पति की मृत्यु हो गयी। दिनांक 20.10.2025 को रामजी त्रिपाठी व प्रकाश पाण्डेय मेरी चाय की दुकान में आकर मेरे व मेरी पुत्री के साथ गाली गलौज करने लगे तथा कहने लगे लोन का रूपया जमा करा दो और रिक्शा को भूल जाओ नही तो ठीक नही होगा। चाय की दुकान में भीड़ होने के कारण उपरोक्त दोनो लोग धमकी देकर चले गये। इसके बाद प्रार्थिनी ने दिनांक 16.03.2025 को थाना हाजा चौबेपुर में जाकर लिखित में इस घटना के बारे में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन आज तक कोई सुनवाई नही हुई है। प्रार्थिनी ने दि.07-04-2025 को उपरोक्त घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर कमिश्नरेट को एक लिखित प्रार्थनापत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजा जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

3- प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में पुलिस आयुक्त को प्रेषित पत्र व रजिस्ट्री रसीद, आधार कार्ड व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

4- प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की

आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

5- प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6- प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी को अभियुक्तगण के नाम, पते, घटना की पूर्ण जानकारी है जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकती है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दि. को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(शैलेन्द्र निगम)
UP ID NO-6182
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।